कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक: 6557 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम-117/2006 दिनांक-3/8/2010

कार्यालय ज्ञाप

श्री बी0एस0भदौरिया पुत्र श्री ब्रजभान सिंह भदौरिया, सुभाषनगर, मैनपुरी फाटक, इटावा का मार्ग श्रेणी ''ए'' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-8587एम0टी0/54एम-117/06 दिनांक-03.11.06 द्वारा दिनांक-30.06.2009 तक के लिए किया गया था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री बी0एस0भदौरिया के पक्ष में जनपद-कानपुर में निर्माण खण्ड-1(प्र0ख0), लो0नि0वि0, कानपुर नगर में पैकेज सं0-यू0पी0-4120 का अनुबन्ध सं0-10एस0ई0पी0एम0जी0एस0वाई0- एस0ई0/07-08, दिनांक-04.11.07 गठित किया गया था। ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर के पत्र संख्या-8783/04सी0-पी0एम0जी0 एस0वाई0वृत्त/09, दिनांक-24.10.09 द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार पैकेज सं0-यू0पी0-4124 का अनुबन्ध संख्या-9/ एस0ई0-पी0एम0जी0एस0 वाई0-के0सी0/08-09, दिनांक-04.07.09 भी उपरोक्त ठेकेदार के पक्ष में गठित किया गया था ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर के पत्र संख्या-5177/04सी0(यू0पी0-4124)पी0एम0जी0एस0वाई0वृत्त/09, दि0-27.11.09 द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया। उक्त दोनों कार्यों से अनुबंधित लागत पर 10% एल0डी0 एवं अवशेष कार्य की लागत पर 20% अर्थदण्ड भी लगाया गया, जिसके फलस्वरूप ठेकेदार की उपलब्ध धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली गयी है, परन्तु अभी भी पैकेज सं0-4120 के विरूद्ध रू0-57,61,472.00(रू0-सत्तावन लाख इकसठ हजार चार सौ बहत्तर) की धनराशि एवं पैकेज सं0-यू0पी0-4124 के विरूद्ध रू0-1,00,07,774.00(रू0-एक करोड़ सात हजार सात सौ चौहत्तर) की धनराशि व कुल मिलाकर रू0-1,57,69,246.00(रू0-एक करोड़ सत्तावन लाख उन्हत्तर हजार दो सौ छियालिस मात्र) की धनराशि ठेकेदार से वसूल किया जाना शेष है।

उपरोक्त दोनों अनुबन्धों में परफार्मेन्स सिक्योरिटी के रूप में उक्त ठेकेदार द्वारा क्रमशः बैंक गारण्टी सं0-48/78, दिनांक-31.10.07 रू0-12,76,100.00(रू0-बारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ मात्र) तथा बैंक गारण्टी सं0-16/89, दिनांक-03.07.08 रू0-14,28,000.00(रू0 चौदह लाख अट्ठाइस हजार मात्र) दोनों भारतीय स्टेट बैंक को उपलब्ध करायी गयी थी, जिनको मुख्य कार्यपालक अधिकारी यू0पी0आर0आर0डी0ए0, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु निर्माण खण्ड-1(प्र0ख0), लो0नि0वि0, कानपुर नगर के सहायक अभियन्ता को बैंक भेजने पर बैंक मैनेजर द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया है कि उपरोक्त दोनों बैंक गारण्टी उनकी शाखा से निर्गत नहीं की गयी हैं। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर की राय प्राप्त कर संबंधित ठेकेदार के

विरूद्ध फर्जी बैंक गारण्टी प्रस्तुत किए जाने के लिए कोतवाली, कानपुर नगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक-17.01.2010 को दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ ने अपने पत्रांक-207प्र0प0/423प्र0 प0(काली सूची)/07, दिनांक-11.02.2010 द्वारा मेसर्स भदौरिया, सुभाष नगर, मैनपुरी, इटावा को एस0बी0डी0की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 से आगामी निविदाओं के लिए पृथक(DEBAR) किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री बी0एस0भदौरिया पुत्र श्री ब्रजभान सिंह भदौरिया द्वारा अनुबन्ध में लगी शर्तों का उल्लंघन तो किया ही गया है तथा विभाग के साथ फर्जी बैंक गारण्टी प्रस्तुत कर धोखा-धड़ी भी की गयी है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री बी0एस0भदौरिया पुत्र श्री ब्रजभान सिंह भदौरिया मैनपुरी फाटक, इटावा को उक्त कृत्य हेतु दोषी मानते हुए उन्हें काली सूची में डाले जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते हैं।

2/08/2010

(आर0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता(मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, भवन, रा0मा0, पी0एम0जी0एस0वाई एवं डास्प, लो0नि0वि0 लखनऊ को अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं को प्रेषित करने हेतु।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1575 प्र0प0/423प्र0प0/07,दिनांक-14.07.2010 के संदर्भ में।
3. जिलाधिकारी , इटावा।
4. पंजीकृत श्री बी0एस0भदौरिया, सुभाष नगर, मैनपुरी फाटक, इटावा।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
8. निदेशक राज्य कृषि उत्पादन, मण्डी परिषद, गोमतीनगर लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ।

(भगवानदीन)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(सामान्य)
लो0नि0वि0, लखनऊ

C:\...\Letter 2010\Black List.doc